भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1207

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

धर्मपुरी में एनएपीएस का कार्यान्वयन

1207. श्री अ. मनि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार तमिलनाडु सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) का विशेषकर धर्मपुरी जिले में, इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में कैसा कार्यान्वयन है और इस योजना के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में एनएपीएस के अंतर्गत नामांकित, प्रशिक्षित और प्रमाणित शिक्षुओं की संख्या का ब्यौरा क्या है, जिसमें विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त जिले के विशिष्ट आंकड़े, क्षेत्र-वार और जिला-वार दिए गए हैं;

(ग) धर्मपुरी में एनएपीएस के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), शैक्षणिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है, साथ ही विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जिले में नियोक्ताओं को दी गई वृत्तिका का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने, स्थानीय नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और धर्मपुरी क्षेत्र के ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से अगस्त, 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) शुरू की थी। वर्ष 2022-23 से यह योजना एनएपीएस-2 के रूप में जारी है और तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले सहित पूरे देश में लागू की गई है। एनएपीएस-2 का उद्देश्य देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, जिसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत नियोजित शिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षुता इकोसिस्टम का क्षमता निर्माण करना और हितधारकों को समर्थन सहायता प्रदान करना है। तदनुसार, यह योजना प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति प्रशिक्षु भुगतान किए गए वजीफे के 25 प्रतिशत तक सीमित आंशिक वजीफे की सुविधा प्रदान करती है, जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह तक है। भारत सरकार द्वारा वजीफे सहायता का भुगतान प्रशिक्षु के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नौकरी पर अनुभवात्मक प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना और शिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता साझा करके शिक्षुओं को नामांकित करने के लिए प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना और छोटे प्रतिष्ठानों विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र जैसे वंचित क्षेत्रों में स्थित शिक्षुओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना है।

(ख) तमिलनाडु में एनएपीएस के अंतर्गत कार्यरत शिक्षुओं की संख्या का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में और जिला-वार **अनुबंध-II** में दिया गया है। इसके अलावा, धर्मपुरी जिले के लिए क्षेत्रवार शिक्षुओं का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) धर्मपुरी जिले में शिक्षुता पोर्टल पर 38 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ इनमें से 18 एमएसएमई हैं।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)/संबंधित कौशल विकास नीतियों के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए कई उपाय हैं जिनका उद्देश्य उद्योग अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करना, नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और नौकरी पर प्रशिक्षण/शिक्षुता के अवसरों का विस्तार करना है, जो निम्नानुसार है:-

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों के बीच छात्रों/शिक्षार्थियों की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता सुनिश्चित करते हुए शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने पर जोर देती है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एआईसीटीई के अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) और एआईसीटीई डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को अध्ययन के एक अभिन्न घटक के रूप में शिक्षुता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एईडीपी के प्रमुख उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना, परिणाम आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच सक्रिय संपर्क को बढ़ावा देना और उद्योगों में कौशल अंतर को पाटना है।

(ii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) को धर्मपुरी जिले के उद्योगों और इच्छुक युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर शिक्षुता सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह राज्य के कुल 1/3 जिलों में प्रत्येक दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है ताकि सभी जिलों को एक तिमाही में एक बार और वर्ष में चार बार कवर किया जा सके। चालू कैलेंडर वर्ष में धर्मपुरी जिले में पीएमएनएएम की तीन बार आयोजन की रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा, जिला कौशल समिति (डीएससी) शिक्षुता नियोजन बढ़ाने के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित कर रही है।

अनुबंध-I

दिनांक 08.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान एनएपीएस के तहत **तमिलनाडु (सभी जिलों)** में नियोजित क्षेत्रवार शिक्षु इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	नियोजित शिक्षु	प्रशिक्षित शिक्षु	प्रमाणित शिक्षु
1.	एयरोस्पेस और विमानन	298	113	45
2.	कृषि	638	146	27
3.	कृषि और संबद्ध सेवाएँ	125	106	60
4.	परिधान	202	169	133
5.	परिधान मेड- परिधान मेड-अप्स और होम फर्निशिंग	7,642	4,931	19
6.	ऑटोमोबाइल	7,563	5,088	4,151
7.	ऑटोमोटिव	1,78,392	43,204	6,454
8.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा(बीएफ़एसआई)	8,869	5,031	225
9.	सौंदर्य और वेलनेस	1,466	1,059	0
10.	पूंजीगत माल	10,393	5,219	330
11.	रसायन	442	348	144
12.	निर्माण	3,919	5,182	357
13.	घरेलू कामगार	1,549	1,402	1
14.	विद्युत (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित)	8,994	6,347	5,515
15.	इलेक्ट्रौनिक्स	46,797	17,316	673
16.	फैब्रिकेशन	4,656	3,111	2,235
17.	खाद्य प्रसंस्करण	9,772	4,235	152
18.	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण	72	54	11
19.	फर्नीचर और फिटिंग	2,535	3,497*	2,749
20.	रत्न और आभूषण	6,828	3,210	44
21.	ग्रीन जॉब्स	216	86	19
22.	हस्तशिल्प और कालीन	50	48	0
23.	स्वास्थ्य देखभाल	875	374	46
24.	स्वास्थ्य सेवा और वेलनेस	73	58	45
25.	हाइड्रोकार्बन	233	108	6

26.	औद्योगिक स्वचालन और इंस्ट्रूमेंटेशन	717	359	215
27.	लोहा और इस्पात	1,838	554	37
28.	आईटी- आईटीईएस	23,783	11,666	1,758
29.	चमड़ा	2,994	2,822	0
30.	लाइफ साइन्सेज	4,467	2,381	57
31.	संभारतंत्र	8,331	3,301	407
32.	प्रबंधन एवं उद्यमिता तथा व्यावसायिक कौशल	6,771	3,625	104
33.	मीडिया और मनोरंजन	207	157	0
34.	खनन	216	6	0
35.	पेंट और कोटिंग्स	306	265	35
36.	दिव्यांग	1	1	0
37.	प्लम्बिंग	93	16	6
38.	विद्युत	4,509	5,536*	4,901
39.	उत्पादन और विनिर्माण	13,316	9,789	7,264
40.	खुदरा	25,616	17,420	2,402
41.	खुदरा और संभारतंत्र	183	61	0
42.	रबड़	13,135	3,824	225
43.	मरम्मत और रखरखाव सहित सेवाएँ	418	287	223
44.	दूरसंचार	8,293	2,536	33
45.	कपड़ा	3,257	1,850	26
46.	पर्यटन और आतिथ्य	13,994	5,087	127

* पिछले पांच वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 तक है। वर्ष 2019-20 और उससे पहले के शिक्षुओं ने मांगी गई डेटा अवधि के दौरान प्रशिक्षण पूरा कर लिया था।

अनुबंध- II

08.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान एनएपीएस के तहत **तमिलनाडु राज्य (धर्मपुरी जिले सहित)** में नियोजित, प्रशिक्षित और प्रमाणित जिलेवार प्रशिक्षु इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या.	राज्य/जिला	नियोजित प्रशिक्षु	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	प्रमाणित प्रशिक्षु
1.	**धर्मपुरी**	**895**	**373**	**321**
2.	अरियालुर	568	488	244
3.	चेंगलपट्टू	24,534	7,577	332
4.	चेन्नई	1,05,145	51,611	7,191
5.	कोयंबटूर	44,078	18,258	2,505
6.	कुड्डालोर	7,202	5,739	3,360
7.	डिंडीगुल	2,918	1,192	417
8.	इरोड	5,971	2,740	1,194
9.	कल्लाकुरिची	142	86	84
10.	कांचीपुरम	1,24,473	34,105	2,729
11.	कन्याकुमारी	1,300	797	537
12.	करूर	1,344	905	622
13.	कृष्णागिरी	31,320	13,760	4,465
14.	मदुरै	7,011	3,934	1,053
15.	माइलादुत्रयी	201	159	68
16.	नागपट्टिनम	532	423	288
17.	नमक्कल	532	438	244
18.	पेरम्बलुर	2,506	508	235
19.	पुदुक्कोट्टई	4,373	2,065	691
20.	रामनाथपुरम	412	249	150
21.	रानीपेट	4,852	1,963	973
22.	सलेम	2,982	1,980	1,330
23.	शिवगंगा	896	865	550
24.	तेनकासी	175	40	8
25.	तंजावुर	1,681	1,240	793
26.	नीलगिरी	590	430	264
27.	थेनी	414	281	170
28.	तिरुवल्लुर	25,862	9,349	1,874
29.	थिरुवरुर	208	160	98
30.	थुथुकुड़ी	1,165	993	769
31.	तिरुचिरापल्ली	11,597	6,037	4,624
32.	तिरुनेलवेली	3,484	1,934	799
33.	तिरुपथुर	1,247	1,181	64
34.	तिरुपूर	5,137	3,731	303
35.	तिरुवन्नामलाई	2,465	1,223	279
36.	वेल्लोर	3,707	3,589	697
37.	विलुप्पुरम	1,757	1,008	599
38.	विरुधुनगर	1,368	574	337

अनुबंध- III

दिनांक 08.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान एनएपीएस के तहत **तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले** में क्षेत्र-वार नियोजित, प्रशिक्षित और प्रमाणित शिक्षुओं की संख्या इस प्रकार है:

क्रम संख्या	**क्षेत्र का नाम**	**नियोजित शिक्षु**	**प्रशिक्षित शिक्षु**	**प्रमाणित शिक्षु**
1.	कृषि	1	-	-
2.	परिधान मेड-अप्स और होम फर्निशिंग	1	1	-
3.	ऑटोमोबाइल	94	59	75
4.	ऑटोमोटिव	7	4	5
5.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)	41	21	-
6.	पूंजीगत माल	30	3	-
7.	निर्माण	2	1	1
8.	विद्युत (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित)	194	109	165
9.	फैब्रिकेशन	18	10	13
10.	खाद्य प्रसंस्करण	6	5	-
11.	स्वास्थ्य देखभाल	2	2	-
12.	औद्योगिक स्वचालन और इंस्ट्रूमेंटेशन	1	1	1
13.	लोहा और इस्पात	1	-	-
14.	आईटी- आईटीईएस	372	107	20
15.	संभारतंत्र	8	2	-
16.	प्रबंधन एवं उद्यमिता तथा व्यावसायिक कौशल	1	1	-
17.	विद्युत	16	11	11
18.	उत्पादन और विनिर्माण	30	12	17
19.	खुदरा	64	24	13
20.	दूरसंचार	1	-	-
21.	पर्यटन और आतिथ्य	5	-	-

*शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष की होती है। अतः किसी भी वर्ष के लिए प्रमाणित शिक्षुओं की संख्या संचयी होती है, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान प्रशिक्षित शिक्षु भी शामिल होते हैं।

*****